संख्या-1/2023/ सा0-979/12-6-2023-54/2000

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक , नवम्बर 2023**

विषयः-स्व0 चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, के जन्म दिवस दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 को ''किसान सम्मान दिवस'' के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2023-24 में भी स्व0 चौ0 चरण सिंह (भूतपूर्व प्रधानमंत्री) के जन्म दिवस (23 दिसम्बर-2023) को ''किसान सम्मान दिवस'' के रूप में समुचित निष्ठा एवं गरिमा के साथ मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

किसान सम्मान दिवस मनाये जाने हेतु निम्नांकित कार्यक्रमों की रूप रेखा रखी जाए :-

1. किसान सम्मान दिवस राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किया जाये।
2. ''किसान सम्मान दिवस'' के उपलक्ष्य में किसान गोष्ठी एवं किसान प्रदर्शनी आयोजित की जाये और किसानों को सम्मानित किया जाये।
3. राज्य स्तर पर कुल 45 कृषकों को पुरस्कृत किया जायेगा :-
   (i) रबी एवं खरीफ की फसलो में 10 प्रथम पुरस्कार, 10 द्वितीय पुरस्कार एवं 10 तृतीय पुरस्कार की व्यवस्था है।
   (ii) प्रगतिशील महिला कृषक श्रेणी में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यो हेतु 03 महिला कृषकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार जायेगा।
   (iii) कृषक उत्पादक संगठन (FPO) /कृषि निर्यातक श्रेणी अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जायेगा।
   (iv) प्राकृतिक खेती श्रेणी अन्तर्गत प्राकृतिक खेती में विशिष्ट कार्यो हेतु तीन कृषकों को समान रूप से पुरस्कृत किया जायेगा।
   (v) औद्यानिक खेती (आम, केला, टमाटर, प्याज एवं आलू) की उत्पादकता को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में इन श्रेणियो में 3-3 कृषकों को (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है।
4. राज्य स्तर पर पराली प्रबन्धन में उत्कृष्ट कार्यो हेतु अधिकारियों को, कृषि अवसंरचना निधि (एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) अन्तर्गत लाभार्थी/उद्यमियों को तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिको को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक श्रेणी में 03-03 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।
5. जनपद स्तर पर कुल 32 कृषकों को पुरस्कृत किये जाने जाने की व्यवस्था है :-
   (i) कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर रबी-2022-23 हेतु दो फसलों पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) खरीफ-2023 के लिये भी दो फसलों पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार अधिकतम उत्पादकता के आधार पर दिया जायेगा।

(iii) जनपद स्तर पर खरीफ-2023 में न्यूट्री सीरियल श्रेणी अन्तर्गत ज्वार एवं बाजरा फसल में आच्छादित जनपदो में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है । जिसके अन्तर्गत ज्वार फसल में 05 जनपद क्रमशः कानपुर नगर, कानपुर देहात, बॉदा, हमीरपुर एवं चित्रकूट तथा बाजरा फसल में 19 जनपद क्रमशः बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूँ, सम्भल, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मिर्जापुर जनपद आच्छादित है।

(iv) जनपद स्तर पर 03 सहयोगी विभागों में से प्रत्येक हेतु 03 प्रथम एवं 03 द्वितीय पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार सहयोगी विभागों के चयनित कृषकों को कुल 18 पुरस्कार वितरित किये जायेगें।

(v) प्राकृतिक खेती श्रेणी अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया जायेगा।

6. विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से विभिन्न उद्यमों में लगे अधिकतम 05 कृषकों को पुरस्कृत किया जायेगा। जिसमें 01 कृषक कृषि विभाग से एवं 01-01 प्रगतिशील कृषक 04 सहयोगी विभागों (उद्यान विभाग, रेशम विभाग, गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग आदि) से पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था है।

7. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित ''किसान सम्मान दिवस'' के आयोजन पर कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किसान विकास गोष्ठी एवं प्रदर्शनी तथा किसान मेलों का आयोजन करेंगे। इन आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में संबंधित जनपद के मा0 मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अपने स्तर से आमंत्रित करेंगे।

8. कृषि एवं सम्बद्ध विभाग यथा-सहकारिता विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास विभाग, रेशम विभाग एवं गन्ना विभागों को ''किसान सम्मान दिवस'' कार्यक्रम एवं विकास गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करायी जायें।

9. विगत वर्षो की भांति प्रदेश के सभी जिलाधिकारी अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर दिनांक 23.12.2023 को **''किसान सम्मान दिवस''** के आयोजन पर किसान गोष्ठी एवं कृषि प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।

10. **''किसान सम्मान दिवस''** के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों हेतु प्रदेश शासन के नोडल अधिकारी, कृषि निदेशक,उ0प्र0 होगें।

कृपया उपरोक्तानुसार **''किसान सम्मान दिवस''** पूरे प्रदेश में समुचित निष्ठा एवं गरिमा के साथ मनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त ।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2023/ सा0-979(1)/12-6-2023-54/2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी को मा0 कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही जी) के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 कृषि राज्य मंत्री जी को मा0 कृषि राज्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह औलख जी) के अवलोकनार्थ।
5. मा0 आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. निदेशक, पशुपालन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
14. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारिता भवन, लखनऊ।
15. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 भूमि सुधार निगम/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो, लखनऊ।
18. निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
19. महानिदेशक, उ0प्र्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
20. कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या।
21. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
22. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ।
23. कुलपति, सैम हिंग्गिन बाटम् इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्सेंज, नैनी प्रयागराज।
24. कुलपति, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा।
25. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
26. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0, लखनऊ।
27. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
28. परियोजना समन्वयक, यू0पी0डास्प, लखनऊ।
29. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
30. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
31. समस्त उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
32. कृषि/कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

आज्ञा से,

लाल बहादुर यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in